।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला टोंक ।।

:-प्रेस नोटः-

:-सस्ती दर पर सोना बेचने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप मे तीन आरोपी गिरफतार व ठगी की गई राशि चार लाख पचास हजार रूपये बरामद :-

दिनांक 29.12.2018 को श्री हरप्रीत सिंह पुत्र श्री मुखपाल सिंह जाति सिक्ख उम्र 25 साल निवासी धारीवाल नगर सिरसा रोड वार्ड न. 18 नजदीक स्टेडियम जिला सिरसा, हरियाणा व अन्य पीड़ितो द्वारा थाना दूनी पर उपस्थित होकर सस्ती दर पर सोना बेचने का झाँसा देकर चार लाख पचास हजार रूपये ठगी करने के संबंध में रिपोर्ट पेश करने पर अभियोग संख्या 257/2018 धारा 420,384,120-बी आईपीसी मे प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया दौराने अनुसंधान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, मालपुरा जिला टोंक व श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय, देवली जिला टोंक के निर्देशानुसार मुस्तगीस के साथ हुई चार लाख पचास हजार रूपये की ठगी की राशि को बरामद करने व आरोपियान को गिरफतार करने के संबंध मे प्राप्त निर्देशानुसार आज दिनांक 09.01.2019 को मन थानाधिकारी नरेश कँवर उप0नि0 मय जाप्ता श्री राजेन्द्र सिंह एचसी 199, श्री रामकिशन एचसी 49, श्री मुकेश कानि0 1285, श्री मनराज कानि0 141, श्री आशाराम कानि0 560, श्री कृष्णगोपाल कानि0 1077 की मदद से वारदात को अंजाम देने वाले संदिग्ध तीन आरोपीयान को कंजर बस्ती पोल्याडा से पकड़कर पुछताछ की गई जिन्होने दिनांक 29.12.2018 को की गई वारदात को स्वीकार किया मुल्जिमान सस्ती दर पर सोना बेचने का झाँसा देकर ठगी करने के आरोपी है जिनसे प्रकरण हाजा मे ठगी की गई राशि चार लाख पचास हजार रूपये बरामद किये गये है अनुसंधान जारी है गिरफतार किये गये आरोपी निम्न हैः-

1. श्री गजराज पुत्र श्री शक्ति सिंह उर्फ सिंगा जाति कंजर उम्र 21 साल निवासी कंजर बस्ती पोल्याडा थाना दूनी जिला टोंक (राजस्थान)
2. श्री राजू उर्फ राजपाल पुत्र श्री हरचन्दा जाति कंजर उम्र 45 साल निवासी कंजर बस्ती पोल्याडा थाना दूनी जिला टोंक
3. श्री दीपक उर्फ दीपू पुत्र श्री भृतहरि जाति कंजर उम्र 20 साल निवासी कंजर बस्ती पोल्याडा थाना दूनी जिला टोंक (राजस्थान)